(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 428–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–01–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 501/ए/2005–06 निगरानी.

.....

1– बापूलाल आत्मज जगन्नाथ राठौर
2– पूर सिंह आत्मज जगन्नाथ राठौर
दोनों निवासीगण ग्राम पीपल्दा
तह0 खिलचीपुर, जिला–राजगढ़

—— आवेदकगण

विरूद्ध

बद्रीलाल आत्मज रामलाल राठौर
निवासी–ग्राम पीपल्दा, तह0 खिलचीपुर,
जिला–राजगढ़

—— अनावेदक

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 10/12/17 को पारित)

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा की भूमि सर्वे कमांक 07 रकबा 10.846 हैक्टेयर की भूमि का बटवारा हेतु आवेदकगण, निवासी ग्राम पीपल्दा तह0 खिलचीपुर, जिला–राजगढ़ ने संहिता की धारा–178 के अंतर्गत तहसील

न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार इश्तहार एवं सूचना पत्र जारी किए । समयावधि में जब कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तब तहसील न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुए प्रकरण क्रमांक 28/अ–27/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2005 के द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए बंटवारे के आदेश दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2005 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत प्रकरण पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 14.06.2006 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2006 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 501/ए/2005–06 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 27.01.2009 से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2009 से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवेदकगण की मॉ श्रीमती गुलाब बाई एवं अनावेदक की मॉ श्रीमती राधीबाई की पैतृक सम्पत्ति थी तथा पैतृक संपत्ति में सभी हितबद्ध पक्षकारों को समान रूप से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु दोनों ही अपीलीय न्यायालयों ने उक्त तथ्य पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया । दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित करते समय प्रकरण में आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना नहीं की । अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वत्व के संबंध में आदेश पारित किये गये है तथा तहसील न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर ही बंटवारा आदेश पारित किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी उचित आधार के तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को

त्रुटिपूर्ण मानने में भूल की गई । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी भी समक्ष न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया । इसलिये वह अंतिम हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि पक्षकारों द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतिलिपि तहसील न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किये बिना की विवादित आदेश पारित किया है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन करते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख गुम हो जाने से उनका अवलोकन नहीं किया जा सका । मात्र अपर आयुक्त के आदेश की छायाप्रति अवलोकन हेतु उपलब्ध हुई । जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने एक ही आदेश द्वारा बंटवारा/नामांतरण आदेश पारित किया जो कि नियमानुसार नहीं है । अतः स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने विधिनुकूल आदेश पारित किया है । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है । लेकिन सम्बन्धित पक्ष चाहे तो पुनः नियमानुसार बंटवारे की कार्यवाही हेतु तहसील में आवेदन दे सकते है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर